न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(श्री राकेश कुमार, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या :– 6/2018 (गुण्डा एक्ट)
दायर दिनांक :– 16–11–2018
निर्णय दिनांक :– 21–01–2019

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

––––प्रार्थी

बनाम

श्री रमेश चन्द्र पिता बंशीलाल लोहार निवासी देवगढ़
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

––––अप्रार्थी,गे0सा0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :–

1.श्री नारायण सिंह छापली अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. सहायक लोक अभियोजक

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांकः– 21–01–2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांकःएफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01 03 2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे0सा0 के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। गेरसायल/अप्रार्थी के विरूद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना देवगढ में दर्ज हुई है :–

क्र.स.	प्र0सं0	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	04/17	13 आरपीजीओ एक्ट	03/10.1.17	सजा 20.01.2017
2	164/17	13 आरपीजीओ एक्ट	131/15.6.17	सजा 04.10.2017

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल दिनांक 07–1–2019 को मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होने पर गैर सायल को नोटिस सुनाया गया । गैर सायल ने निवेदन किया गया कि गलत रूपेण कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया है, गैर सायल के विरूद्ध जिन प्रकरणों का नोटिस जारी किया गया है। वे दोनों प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर लेने से सजा हुई है। गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा मालाराम बनाम राजस्थान राज्य एवं आरएलडब्लू 705 में देवेन्द्र जैन के मामले में उच्च्व न्यायालय द्वारा 1975 के अधिनियम 3(3) के प्रावधान संविधान के अधिकारातित है,निर्णित कलेक्टर सह जिला मजिस्ट्रेट का आदेश अभिखण्डित किया । गैर सायल अब भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा । गैर सायल के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रोप फरमाना न्यायहित में आवश्यक है । गैर सायल द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जिससे कि जन सामान्य की सुरक्षा को कोई खतरा हो और गैर सायल न ही आदतन अपराधी है। गैरसायल के

विरूद्व चलाई जा रहीं उपरोक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 को ड्रोप फरमाई जावें।

सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि गैर सायल के विरूद्व 13 आरपीजीओ एक्ट के दो प्रकरण दर्ज किये गये हैं दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा हुई है। इस कारण गैर सायल धारा 2 (बी) के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः गैर सायल को जिला बदर किया जावें ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ,बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । गैर सायल के विरूद्व **13 आरपीजीओ एक्ट** के दो प्रकरण दर्ज किये गये। जिनमें दोनों प्रकरणों में गैरसायल को सजा हुई है। उक्त इस्तगासा इस न्यायालय में पेश होने पर गैर सायल को नियमानुसार न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है जिसमें संज्ञेय प्रकरणों का हवाला दिया गया है । रिकार्ड पर गैर सायल के विरूद्व प्रस्तुत साक्ष्य के अलावा ओर कोई साक्ष्य नहीं है। विपक्षी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया गया है। विपक्षी के जबाब से ऐसा प्रतीत होता है कि गैर सायल शान्ति से अपना जीवन यापन कर रहा है। अब भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा । लोक अदालत की भावना से गैर सायल के विरूद्व की गई कार्यवाही को ड्रोप किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । गैर सायल द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे कि जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा हो और न ही आदतन अपराधी है। गैरसायल के विरूद्व चलाई जा रहीं उपरोक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 को लोक अदालत की भावना से अदालत उठने के समय तक के दण्ड से दण्डित किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी को भेजी जावें।

पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज रजिस्ट्रर से कम कि जाकर दाखिल दफतर हो।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 21—01—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द